उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ

01/05/25 पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। सुनी गई बहस व विधिक प्रावधानों पर मनन किया गया। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, प्रस्तुत रिपोर्ट का अवलोकन किया जिससे स्पष्ट है कि प्रार्थी को रास्ते की आंशिक आवश्यकता है अतः प्रार्थी का आवेदन 251-A स्वीकार किया जाता है विस्तृत ~~निर्णय~~ निर्णय पृथक से टंकण करा, शामिल मिसल रहे। तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, दांताराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ जिला सीकर

बद्रीलाल अशोक कुमार, आरएएस

करण संख्या– 30 / 2016 / दावा

श्री बंशीधर गौशाला सेवा समिति अजबपुरा जरिये सचिव बनवारीलाल शर्मा

बनाम

लक्ष्मीनारायण आदि

आवेदन अंतर्गत धारा 251(ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी

उपस्थिति

1. श्री सुरेन्द्रसिंह विश्राम वकील प्रार्थी की ओर से।
2. श्री भवानीसिंह शेखावत वकील अप्रार्थी सं0 1 (आवेदक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी) की ओर से।

निर्णय

दिनांक :– 09.12.2019

1. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर सें आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी सपठित धारा 151 सीपीसी पेश कर वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि आवेदक की भूमि खसरा नम्बर 875 में आवागमन हेतु रास्ता कालान्तर से पूर्व साईड सें रहा है। भूमि खसरा नम्बर 875 के पुख्ता चारदीवारी निर्मित की गई है जिसमें पूर्व साईड में भूमि खसरा नम्बर 876 जो आवेदक के चाचा राधेश्याम की है में खुलता हुआ पुख्ता लोहे का गेट लगा हुआ है। उक्त रास्ता आगे आवेदक व उसके भाईयों की खातेदारीशुदा भूमि खसरा नम्बर 875, 879, 880 की उत्तरी सीमा से होता हुआ खसरा नम्बर 901 ता 904 की दक्षिणी सीमा व खसरा नम्बर 900 व 976 तथा 978 की उत्तरी सीमा के सहारे आगे प्रचलित रास्ते जो अजबपुरा सें गुढा सागरवा जाता है में मिलकर जाता है। यह रास्ता मौके पर चालू है। उक्त वैकल्पिक रास्ता आवेदक के पास अपनी भूमियों में आवागमन हेतु मौके पर मौजूद व प्रचलित होते हुए भी आवेदक को अप्रार्थीगण की भूमियों में सें नया रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में कायम करवाने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। आवेदक का आवेदन विधि द्वारा वर्जित होने की वजह सें तत्काल खारिज किये जाने योग्य है। अतः आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर आवेदक का आवेदन अंतर्गत धारा 251ए आरटीए खारिज फरमाया जावे।

उपखण्ड अधिकारी,दांतारामगढ

2. वकील प्रार्थी ने आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी का विरोध प्रकट करते हुए अपने जवाब आवेदन में अंकन किया कि अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से पेश आवेदन में वर्णित तथ्य गलत व काल्पनिक है। प्रार्थी श्री बंशीधर गौशाला के स्वयं के खाते कब्जेकाश्त व स्वामित्व की भूमि के लिए वैकल्पिक तौर पर कटाणी व चालू हालात में कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है। उक्त भूमि के पूर्वी दिशा के पड़ौसी खातेदारों की सहमति से अस्थायी तौर पर गौशाला की गायों के लिए अनाज चारा आदि बड़ी परेशानी से संकट भरे उबड़ खाबड़ डोली व तारबंदियों के बीच से व्यवस्था की जा रही है तथा रास्ते के अभाव में उक्त गौशाला की गायें संकटग्रस्त है। गायें बीमार होने की स्थिति में इलाज करवाया जाना भी बहुत कठिन हो रहा है। प्रार्थी का आवेदन किसी भी विधि द्वारा वर्जित नहीं है तथा नायब तहसीलदार पलसाना की रिपोर्ट में अभिशंषा की गई है कि बंशीधर गौशाला समिति की भूमि खसरा नम्बर 875 में जाने हेतु अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है अतः अप्रार्थी संख्या 1 द्वारा पेश आवेदन 7(11) सीपीसी खारिज फरमाया जावे।

3. आवेदन अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पर उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया एवं उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। प्रार्थी के आवेदन अंतर्गत धारा 251ए आरटीए को पढा जाकर मनन किया गया। चूंकि प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 7 नियम 11 सीपीसी निम्न आधारों पर लागू होता है–

(क). जहां वह वाद हेतुक प्रकट नहीं करता है।

(ख). जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन कम किया गया है और वादी मूल्यांकन को ठीक करने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियम किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(ग). जहां दावाकृत अनुतोष का मूल्यांकन ठीक है किन्तु वादपत्र अपर्याप्त स्टाम्प पत्र पर लिखा गया है और वादी अपेक्षित स्टाम्प पत्र देने के लिए न्यायालय द्वारा अपेक्षित किये जाने पर उस समय के भीतर जो न्यायालय ने नियत किया है ऐसा करने में असफल रहता है।

(घ). **जहां वादपत्र में के कथन से यह प्रतीत होता है कि वाद किसी विधि द्वारा वर्जित है।**

4. आवेदन तथा उपलब्ध दस्तावेजों से स्पष्ट है कि प्रार्थी श्री बंशीधर गौशाला समिति अभयपुरा की भूमि खसरा नम्बर 875 हेतु रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में नहीं है। नायब तहसीलदार पलसाना की रिपोर्ट द्वारा पुष्टि होती है कि श्री बंशीधर गौशाला सेवा समिति अजबपुरा खसरा नम्बर 875 में जाने हेतु अन्य कोई

उपखण्ड अधिकारी, दांतारामगढ़